

प्रेषक,

विराट शिरोमणि,
अपर जनपद न्यायाधीश,
जनपद बहराइच।
जे0ओ0कोड-1869

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद बहराइच।

विषय :- पूर्व सेवाकाल को वर्तमान सेवाकाल में जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश के पद पर जनपद बहराइच में कार्यरत हूँ। प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 06.04.2010 को अपर सिविल जज(अ0ख0) के पद पर जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। इस सेवा के पूर्व प्रार्थी लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में अंतिम चयन उपरान्त उत्तर प्रदेश शासनादेश परिवहन अनुभाग-3, संख्या-2124/तीस-3-08-28जीई/2008, लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त 2008 के अनुपालन में दिनांक 01.09.2008 को कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय का पद भार ग्रहण किया गया था। **ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 की विज्ञापन तिथि 15 मई 2004 थी।**

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2006 सीधी भर्ती की परीक्षा में अन्तिम चयन के उपरान्त निर्गत शासकीय विज्ञापित नियुक्ति संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 09.02.2010 द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जू0डि0) के पद पर हुयी। उक्त के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2010 को प्रमुख सचिव परिवहन, उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित कर स्वयं को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ के पद से कार्यमुक्त (रिलीव) किये जाने हेतु याचना की गयी। तत्पश्चात् उ0प्र0 शासन परिवहन अनुभाग-3 संख्या-717/30-3-2010-56जीई/2008, लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल 2010 द्वारा कार्यभार छोड़ने की तिथि से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.04.2010 को प्रार्थी द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ के पद का कार्यभार छोड़ा गया। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या: 144/ए.आर(एस)/2010 दिनांक 11.03.2010 द्वारा प्रार्थी को अपर सिविल जज (अ0ख0) लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया और कार्यभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2010 को अपर सिविल जज (जू0डि0) लखनऊ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं को जोड़े जाने संबंधित वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ के शासनादेश संख्या: 17/2019/सा-3-346/दस-2019-933/89 दिनांक 30.04.2019 से संबंधित प्रपत्र तथा समस्त अन्य प्रपत्रों की छायाप्रति एवं पूर्व सेवा की स्वप्रमाणित सेवा पुस्तिका पत्र के साथ संलग्न है। आवेदक की पूर्व सेवा की मूल सेवा



पुस्तिका को आवेदक को कार्यमुक्त करते समय अर्थात् दिनांक 05.04.2010 को कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ द्वारा प्राप्त करा दी गयी थी। वर्तमान में प्रार्थी के पास पूर्व सेवा की मूल सेवा पुस्तिका सुरक्षित रखी है और माननीय न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर उसे उचित माध्यम से प्राप्त करा दिया जायेगा। महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक सं० 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 29, 2024 के अनुक्रम में प्रार्थी द्वारा पुरानी पेन्शन योजना के विकल्प को चुनने हेतु आवेदन प्रमुख सचिव, परिवहन, उ०प्र० शासन लखनऊ को प्रेषित किया जा चुका है और उसकी एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित की जा चुकी है।

अतः विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व सेवाकाल की अवधि को सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये वर्तमान सेवाकाल से जोड़े जाने हेतु पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष सादर रखने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक:

संलग्नक संख्या:

- 1-शासनादेश दिनांक 30.04.2019 से संबंधित प्रपत्र।
- 2-समस्त प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां।
- 3-पूर्व सेवा की सेवा पुस्तिका की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 4-प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित पत्र मय विकल्प पत्र की छायाप्रति।

भवदीय,
Virat Shiromani
01/08/2024
(विराट शिरोमणि),

अपर जनपद न्यायाधीश
बहराइच।

जे०ओ०कोड-1869

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

पत्रांक: 1331-I-5-23 दिनांक-01-08-2024

अग्रसारित

Chatur
11/8/24

जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

1-वर्तमान सेवा का विवरण	
(1) कर्मचारी का नाम	विराट शिरोमणि
(2) पदनाम एवं वेतमान	अपर जनपद न्यायाधीश, 144840-194660 लेवल जे-5
(3) कार्यालय/विभाग का नाम	जनपद न्यायालय/न्याय विभाग (उत्तर प्रदेश)
(4) जन्मतिथि	22-07-1981
(5) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	06-04-2010
(6) नियुक्ति प्राधिकारी	उत्तर प्रदेश सरकार
(7) नियुक्ति पत्र की संख्या एवं दिनांक	शासकीय विज्ञप्ति नियुक्ति संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 09.02.2010 तथा माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या: 144/ए.आर(एस)/2010 दिनांक 11.03.2010
(8) अधिवर्षता की तिथि	31-07-2041
2-पूर्व सेवा का विवरण	
(9) कर्मचारी का नाम	विराट शिरोमणि
(10) पदनाम एवं वेतनमान	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 8000-275-13500
(11) कार्यालय/विभाग का नाम	परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
(12) नियुक्ति प्राधिकारी	उत्तर प्रदेश सरकार
(13) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	01-09-2008
(14) कार्यभार छोड़ने की तिथि	05-04-2010
(15) क्या पूर्व की सेवाये पेन्शनवेल थी	नहीं
(16) क्या पूर्व में तदर्थ/कार्यप्रभारित/संविदा/सीजनल/नियत वेतन पर सेवा की गयी? यदि हां, तो विवरण दिया जाये। (विनियमितीकरण आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाये)	निष्प्रयोज्य
(17) क्या पूर्व सेवाओं में अवैतनिक अवकाश लिया गया था? यदि हां, तो विवरण दिया जाये	नहीं
(18) क्या दो सेवाओं के मध्य व्यवधान रहा है? यदि हां, तो -	नहीं
(I) व्यवधानों की अवधि तिथि सहित।	NA
(II) व्यवधान का कारण	NA
(III) क्या व्यवधान का मर्षण प्रस्तावित है?	NA
(19) क्या पूर्व सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस रही है? यदि हां तो तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं
(20) क्या दण्ड स्वरूप किसी सेवा अवधि को ड्यूटी पर नहीं माना गया है? यदि हां, तो अवधि इंगित की जाये तथा तत्संबंधी आदेश संलग्न किया जाये।	नहीं
(21) सत्यापित सेवा पुस्तिका संलग्न की जाये।	संलग्न
3-विभाग की संस्तुति	

Virat Shiromani
01/08/24
(विराट शिरोमणि),

अपर जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

G. Chaturvedi
1/8/24
प्रतिहस्ताक्षरित

जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

प्रेषक,

संजीव मिश्र,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-समस्त विभाग, उ०प्र० सचिवालय।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 30 अप्रैल, 2019

विषय: सेवानैवृत्तिक लाभों के लिये सेवाओं का जोड़ा जाना।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत किसी सरकारी सेवक द्वारा, संबंधित विभाग में नियुक्त होने के पूर्व अन्यत्र की गयी पेशनेबल सेवाओं को उसकी वर्तमान/अंतिम सेवा के साथ पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ जोड़े जाने संबंधी प्रस्ताव प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्त विभाग को संदर्भित किये जाते हैं। इन प्रस्तावों में प्रायः कतिपय आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

2- अतः समस्त प्रशासकीय विभागों से अनुरोध है कि पेंशनरी लाभों के प्रयोजनार्थ सेवाओं को जोड़े जाने के प्रस्ताव इस शासनादेश के साथ संलग्न

1- यह आदेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है।

प्रपत्र में उल्लिखित विवरणों को पत्रावली की नोटिंग साईड पर अंकित करते हुए, पत्रावली वित्त विभाग को संदर्भित की जाये।
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

संजीव मित्तल

अपर मुख्य सचिव।

संख्या:17/2019/सा-3-346(1)/दस-2019-933/89तदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र० ।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ०प्र० ।
- 3- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयोध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ०प्र० ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

विशेष सचिव।

- 1- यह आदेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया जा रहा है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणीकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित कि जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-2124/तीस-3-08-28जीई/2008
लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 2008

विज्ञापित/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद की संस्तुति पर राज्यपाल महोदय सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा-2004 द्वारा चुने गये निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू०-8,000-275-13,500 के वेतनमान में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्ति प्रदान करते हुये प्रशिक्षण हेतु परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में तैनात करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	गृह जनपद	तैनाती का स्थान
1-	श्री विराट शिरोमणि	चित्रकूट	कार्यालय परिवहन आयुक्त टेढ़ीकोठी -लखनऊ।
2-	श्री सौरभ कुमार	गोरखपुर	" "
3-	श्री संदीप कुमार पंकज	जौनपुर	" "
4-	सुश्री वन्दना	मैनपुरी	" "
5-	श्री दीपक कुमार शाह	लखनऊ	" "

2-उपर्युक्त अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात आधारभूत प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय में आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसकी व्यवस्था परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ द्वारा की जायेगी। संबंधित अधिकारियों का सेवा में बना रहना निर्धारित प्रशिक्षण का संतोषजनक ढंग से उनके द्वारा सम्पन्न करने के अधीन होगा।

3- उपरोक्तानुसार नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

- (1) उपर्युक्त सभी अधिकारी प्रारम्भ में दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे। प्रशिक्षण काल की अवधि परीक्षा अवधि में शामिल होगी। यह अवधि यथा आवश्यक बढ़ायी भी जा सकती है।
- (2) इनकी नियुक्ति पूर्णरूपेण अस्थायी है तथा किसी भी समय एक माह का नोटिस अथवा इसके स्थान पर एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।
- (3) इनकी सेवायें "उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली 1990" के अधीन होगी तथा समस्त अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेंगी।
- (4) इनका स्थायीकरण सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथासमय किया जायेगा एवं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी संवर्ग में अन्य अधिकारियों के साथ इनकी ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

2/-

self attested
Virat Shiromani
01/08/24

(5) तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये उन्हें कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगी।

देश दीपक वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या-2124(1)/30-3-2001 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि नवनियुक्त अधिकारियों के लिये आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराये तथा प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके सम्बन्ध में गोपनीय रिपोर्ट अपनी संस्तुति के साथ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- निम्नलिखित नवनियुक्त अधिकारियों को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ को अपनी ड्यूटी के लिये रिपोर्ट करें और इस पत्र की प्राप्ति के 30 के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर ले, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी :-

1- श्री विराट शिरोमणि,
सी-167 सेक्टर सी, महानगर
लखनऊ-226006

2- श्री सौरभ कुमार
C/O श्री अखिलेश प्रसाद
नेशनल मेडिकल स्टोर, गोलघर
गोरखपुर-273012

3- श्री संदीप कुमार पंकज
C/O डा० देवेश तिवारी
33 सी टैगोर टाउन, एल०आई०सी०
आफिस के पास
इलाहाबाद-211002

4- सुश्री वन्दना
C/O श्रीमती सुशीला सिंह,
520/412 ममफोर्डगंज
इलाहाबाद-211002

5- श्री दीपक कुमार शाह
C/O श्री त्रिलोकी राम
बी-52 मयूर बिहार, फरीदीनगर
लखनऊ-226015

3- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।

4- सचिव, लोक सेवा आयोग उ०प्र० इलाहाबाद।

5- सचिव, उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-4

6- सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

7- परीक्षा नियंत्रक, लोक सेवा आयोग उ०प्र० इलाहाबाद।

8- वैभागिक आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन० अवस्थी)
उप सचिव।

self attested
Virat Shiromani
01/08/24

"प्रभार प्रमाण-पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3 के विज्ञप्ति/नियुक्ति आदेश संख्या-2124/तीस-3-08-28जीई/2008, दिनांक 29 अगस्त, 2008 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, में निहित निर्देशानुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय का पदभार आज दिनांक 01.9.2008 के पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया।

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजेन्द्र कुमार)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

मोचक अधिकारी- (विराट शिरोमणि)

Viratmani
01.09.08

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:2936ई/2008-1594ई/पीएफओ/08 लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2008

उपर्युक्त प्रभार प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ।
3. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, सचिवालय, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. श्री विराट शिरोमणि, नवनियुक्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, सी-167, सेक्टर-सी, महानगर, लखनऊ।
7. आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल हेतु।

(राजेन्द्र कुमार)


अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

Self attested
Virat Shiromani
01/08/24

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या- 717/30-3-2010-56जी.ई./08
लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल, 2010

कार्यालय-आदेश


श्री विराट शिरोमणि, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) को उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-02-2010 में किये गये अनुरोध के आधार पर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर योगदान हेतु आज दिनांक 01-04-2010 के अपराहन से कार्यमुक्त किया जाता है।


शिवानन्द ओझा
विशेष सचिव।

संख्या-717(1)/तीस-3-10-तददिनांक:

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-


- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके कार्यालय के पत्र दिनांक 23-03-2010 के संदर्भ में।
- 3- नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5- कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 6- श्री विराट शिरोमणि, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय), लखनऊ, द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप एन0 अवस्थी)
उप सचिव।

self attested
Virat Shiromani
01/08/24


“प्रभार प्रमाण-पत्र”

प्रमाणित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश संख्या-717/30-3-2010-56जी.ई./08, दिनांक 01.04.2010 के अधीन जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, मैं निहित निर्देशानुपालन में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय (मुख्यालय) के पद का पदभार आज दिनांक 05.04.2010 के अपरान्ह में निम्न प्रकार हस्तान्तरित किया गया-


05.04.10

अवमुक्त अधिकारी- (विराट शिरोमणि)

प्रतिहस्ताक्षरित


(अर्चना अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या:167(जी)ई/2010-1594ई/पीएफओ/08 लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2010
उपरोक्त प्रभार प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, परिवहन अनुभाग-3, सचिवालय, लखनऊ।
3. नियुक्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
9. सम्बन्धित अधिकारी।
10. वैयक्तिक सहायक, कैम्प कार्यालय, परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
11. कार्यालय अधीक्षक/प्रभारी, लेखा अनुभाग/कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय।
12. अधिष्ठान लिपिक/गार्ड फाइल।


(सुधीर दीक्षित)

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन),
उत्तर प्रदेश।

self attested
Virat Shiromani
01/08/24

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-4
संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/2008
लखनऊ: दिनांक 09 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति/नियुक्ति

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2006 के आधार पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू० 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर चरित्र एवं पूर्व कृत संतोषजनक पाये जाने एवं पूर्व में जारी विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-752/दो-4-2009-32 (1)/2008 दिनांक 24.3.09, संख्या-1247/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 01.4.09, संख्या-1539/दो-4-2009-32 (1)/08 दिनांक 22.4.09 संख्या-1653/दो-4-2009-32 (1)/08 दिनांक 8.5.09 संख्या-2057/दो-4-09-32 (1)/08 दिनांक 21.5.09, संख्या- 2208/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 2.6.09, संख्या-2167/दो-4- 2009-32 (1) /2008 दिनांक 10. 6.09, संख्या-2319/दो-4-2009-32(1)/ 2008 दिनांक 12.6.09, संख्या-2417 / दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 23.6.09, संख्या-2974/दो-4-2009 -32(1)/ 2008 दिनांक-7.8.09 संख्या-3205/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 20.8.09, संख्या- 3414/दो-4-2009-32(1)/2008 दिनांक 8.9.09 संख्या-3574/ दो-4-2009 -32 (1)/2008, दिनांक 11.11.09, संख्या-4305/दो-4- 2009-3(1)/2008 दिनांक 16.12. 09 एवं पत्र संख्या- 4541/दो-4-09-32(1)/08 दिनांक 5.1.2010 के अनुक्रम में निम्नलिखित 04 अभ्यर्थियों की नियुक्ति मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-1347(एम/बी)/09 अविनाश चन्द्र बनाम लोक सेवा आयोग व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	पत्र व्यवहार का पता
1-	श्री विराट शिरोमणि आ० श्री संजीव शिरोमणि	म.न.-सी-167, सेक्टर सी. महानगर, लखनऊ पिन कोड-226006
2-	श्री यशवन्त कुमार सरोज आ० श्री जंग बहादुर सरोज	ग्राम-मचकाही, पो०-डमरुआ जिला- जौनपुर
3-	श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह आ० श्री राघव प्रसाद सिंह	म.न.-305 वार्ड न०-16 न्यू कालोनी शहर देवरिया, जिला देवरिया
4-	श्री विजय कुमार आ० श्री केदार नाथ	निवासी-ग्राम बाल खुर्द (महुआबारी) पो०-चौरीचौरा जिला-गोरखपुर

2- उपरोक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के आदेश अलग से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
09.2.2010
(कुंवर कतह बहादुर)
प्रमुख सचिव।

—2—

self attested
Kant Sharma
01/08/24

(2)

संख्या-4541(1)/दो-4-09-32(1)/2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को उ०प्र० गजट के आगामी हिन्दी तथा उर्दू अंक में प्रकाशनार्थ।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-68/14/ई-2/2007-08 दिनांक 18.12.08 एवं संख्या-200/14/ई-2/2007-08, दिनांक-17.6.09 के संदर्भ में।
- 3- अपर निदेशक कोषागार, निदेशालय उ०प्र० शिविर कार्यालय कचहरी रोड, इलाहाबाद
- 4- अपर निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ०प्र० गोमती नगर लखनऊ।
- 5- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ०प्र० शासन लखनऊ।

पंजीकृत

- 6- सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस निर्देश सहित प्रेषित कि उनकी यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं अपनी तैनाती के सम्बन्ध में महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल सम्पर्क स्थापित कर उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले आदेशों के अनुसार एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने पद का कार्यभार, अवश्य ग्रहण कर लें। यदि बिना समुचित कारणों के वह मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा ऐसी स्थिति में इस सेवा में नियुक्ति के लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस सेवा में कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं है तो उसकी लिखित सूचना महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4 को तत्काल भेजे। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल जज (जू.डि.) के पद पर उनकी नियुक्ति अस्थायी रूप से इस प्रतिबन्ध के साथ की जा रही है कि उन्हें निदेशक न्यायिक प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, उ० प्र० लखनऊ के निर्देश प्राप्त होने पर उन्हें विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

अभ्यर्थी को जब तक सिविल जज (जू.डि.) के पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति नहीं हो जाती है वह तब तक स्थायी कर्मचारियों पर लागू शासकीय अधिसूचना संख्या-20/1/74 नियुक्ति-3 दिनांक 11.6.75 में दी गई शर्तों के अधीन रहेंगे। अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

7- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विशेष बहक ड/ए

- 8- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को इस विज्ञप्ति की 04 प्रतियों, सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु भरे गये आवेदन प्रपत्रों एवं उनके संलग्नकों सहित मूलरूप में तथा उपरोक्त 04 अभ्यर्थियों के विषय में चिकित्सा परिषद की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट मूलरूप में इस मंतव्य के साथ प्रेषित कि अभ्यर्थी द्वारा मा० उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में बिना समुचित कारणों के अपना योगदान सेवा में प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी स्थिति से

—3—

self attested
Mr. Shivmani
01/08/24

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

DATED: ALLAHABAD: March 11, 2010

No. 144 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1511/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri Virat Shiromani, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 145 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri Yashwant Kumar Saroj, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Lucknow.

No. 146 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 1511/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri Yogendra Pratap Singh, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Varanasi.

No. 147 /AR(S)/2010

Pursuant to U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 Sri Vijay Kumar, candidate Civil Judge, Junior Division to be Additional Civil Judge, Junior Division, Bhadohi at Gyanpur.

BY ORDER OF THE COURT,

(DINESH GUPTA)
REGISTRAR GENERAL

No. 141/AR(S)/2010 Dated: Allahabad : March 11, 2010

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. The Executive Chairman, U.P. State Legal Services Authority, Third Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow-226001.
2. Pramukh Sachiv, Niyukti, U.P. Shasan, Lucknow.
3. Pramukh Sachiv, Nyay Evam Vidhiparamarshi, Uttar Pradesh Shasan, Lucknow.
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Vineet Khand, Gomti Nagar, U.P. Lucknow requesting him to impart Induction Training to aforesaid newly appointed Civil Judge, Junior Division in their wisdom. (Information available on E-mail).
5. The Additional Director, Treasury, Camp Office, First Floor, New Treasury Building, Kutchery Road, Allahabad
6. The District & Sessions Judges, Bhadohi at Gyanpur, Lucknow & Varanasi

Self attested
Virat Shiromani
01/08/24

along with photocopy of U.P. Government Appointment/Notification No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010 (Information available on E-mail).

District & Sessions Judges, are directed that to permit the newly appointed candidates Civil Judge, Junior Division, to take over charge on the post

Copy of the charge certificates of the candidate Civil Judge Junior Division be sent to the Assistant Registrar (Services), High Court, Allahabad.

The District & Sessions Judges are directed to make arrangement for field training in the judgeship for newly recruited/ appointed candidates of Civil Judge, Junior Division as per instruction contained in letter No. 416/A.R.(S)/3-A/2009 dated 03.09.2009.

It is to add that local arrangement shall be made by you in pursuance of Court's Circular Letter No.27/D.R.(S)/2000 dated 21.6.2000.

7. (i) Sri Virat Shiromani S/o Sri Sanjeev Shiromani, H.N. C 167 Sector C, Mahanagar, Lucknow-226006(U.P.)
- (ii) Sri Yashwant Kumar Saroj, S/o Sri Jung Bahadur Saroj, Village-Machkahi, Post-Damarua District-Jaunpur(U.P.)
- (iii) Sri Yogendra Pratap Singh, S/o Shi Raghav Prasad Singh, H.n.-305 Ward No.16 New Coloney Sahar Deoria District Deoria.
- (iv) Sri Vijay Kumar, S/o Sri Kedar Nath, Village Bal Khurd(Mahuabari), Post Chauri Chaura District Gorakhpur(U.P.)

Above-mentioned appointed candidate Civil Judge, Junior Division will proceed to take over charge of their place of posting immediately.

Newly appointed candidate Civil Judge, Junior Division should note that their appointment to the post of Civil Judge, Junior Division in U.P. Nyayik Sewa is purely temporary and until they are absorbed and appointed as permanent Civil Judge, Junior Division. They shall be subjected to general conditions of services applicable to temporary Government servant contained in Government Notification No. 20/II/74-Niyukti-3, dated June 11 1975 and also under the condition laid down in U.P. Government Notification/Appointment No. 4541/II-4-09-32(1)/2008 dated 09.02.2010.

8. The Publication Secretary, U.P. Judicial Services Association Office, A-1, River Bank Judges Colony, Lucknow.
9. The Registrar (Confidential), High Court, Allahabad.
10. The Officer on Special Duty (Litigation), High Court, Allahabad
11. The Officer on Special Duty (Computer)/ In charge Computer Centre, High Court, Allahabad.
12. The ~~Deputy~~ Registrar (Budget), High Court, Allahabad.
13. The Section Officer (Admin.A-3) Section, High Court, Allahabad
14. The Section Officer (Admin. H) Section, High Court, Allahabad

self attested
Virat Shiromani
01/08/24

15. The Director, Printing & Stationary, U.P. Allahabad for publication of the notification in the next issue of the Gazette.
16. P.S. to Hon'ble Judges, High Court of Judicature at Allahabad & Lucknow Bench, Lucknow. (Information available on E-mail).

BY ORDER OF THE COURT.

A. Srivastava

(VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA)
ASSISTANT REGISTRAR (SERVICES)

*self attested
Nirat Shrivastava
01/08/24*

कार्यभार ग्रहण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के नोटिफिकेशन नंबर:4541/II-04-32(1)/2008 दिनांकित 09.02.2010 के अनुक्रम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नोटिफिकेशन नंबर:144/ए.आर. (एस)/2010 दिनांकित 11.03.2010 के अनुपालन में मेरे द्वारा आज दिनांक 06.04.2010 की पूर्वाह्न में न्यायालय अपर सिविल जज(जू0डि0), कक्ष संख्या-38, लखनऊ का कार्यभार ग्रहण किया गया।

Virat Shironani
(विराट शिरोमणि)
अपर सिविल जज(जू0डि0),
लखनऊ

प्रतिहस्ताक्षरित


✓
जनपद न्यायाधीश
लखनऊ

पत्रांक 6876(VII)/E/110

लखनऊ : दिनांक 09/4/10

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1.महा निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 2.निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ।
- 3.संयुक्त निबन्धक, सेवार्य माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4.सचिव, उ0प्र0 शासन, नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ।
- 5.संयुक्त निबन्धक कम्प्यूटर, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 6.संयुक्त निदेशक, कोषागार, शिविर कार्यालय प्रथम तल, नवीन कोषागार भवन, कचेहरी रोड, इलाहाबाद।
- 7.कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 8.जनपद न्यायाधीश, लखनऊ।
- 9.संबंधित अधिकारी।


08-04-10
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, लखनऊ

self attested
Virat Shironani
01/08/24

- PLEASE NOTE THIS CAREFULLY ELSE YOUR PENSION WILL BE DELAYED
1. Entries regarding promotions etc. as and when they occur must be made and attested.
 2. If a temporary post which you held become permanent subsequently, it must be clearly stated and relevant Government Order pasted. (Art 370 371 C S R)
 3. State the exact nature of your officiating post i.e. whether they were in clear vacancies (Art. 371 C S R)
 4. If you were on probation before confirmation let your Service Book say so. (Art 373 C S R)
 5. Clearly indicate the nature of your service in the last three years.
 6. See that your service is verified and recorded every year.


कृपया सावधानी से कर्मचारी नोट कर दें नहीं तो आपको पेंशन देर में होगी

Accountant General


1. आपको पर इत्यादि में जब कभी उन्नति हो, उसी समय उसे लिख कर प्रमाणित करा देना चाहिए।
2. बिन अस्थाई पर पर आप काम कर रहे थे, यदि वह आगे चलकर स्थाई हो जाये तो इसे साफ साफ लिखा देना चाहिए साथ ही उससे सम्बन्धित सरकारी आज्ञापन चिपका देना चाहिए (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 396)
3. अपने स्थाई परों का ठीक-ठाक विवरण दीजिए अर्थात् क्या वे पूरी तौर से खाली जागहों पर थे। (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 399)
4. यदि आप स्थाई होने के पहले परीक्षार्थी (on probation) थे तो यह आपको सेवा चक्रिका से पता लगाना चाहिए (सिविल सर्विस रेगुलेशन धारा 393)
5. अतिरिक्त तीन वर्षों में किस किस तरह की राजसेवा में रहे, उसे साफ साफ लिखा दीजिए।
6. इसका भी ध्यान रखें कि आपको राजसेवा की जांच हर साल की जाती है और उसे लिख भी दिया जाता है।

THUMB & FINGERS IMPRESSIONS OF EMPLOYEE
कर्मचारी की अंगुलियाँ तथा अंगूठों के चिन्ह

Left Hand बायां कर



Right Hand दक्षिण कर



S.P.: Thumb and Finger Impression should be reattested after every five years.
टिप्पणी: अंगुलियाँ तथा अंगूठों के चिन्ह प्रत्येक पांच वर्षों के सुचारु परीक्षण के बाद प्रमाणित कर्ना

F.P. FORM NO. 13

(See paragraph 35 of Auditor-General Instructions Issued Under Fundamental Rule 74)

1. Name	नाम VIRAT SHROMANI
2. Race	SCHEDULED CASTE जाति या कौम (WASHERMAN)
3. Permanent Residence Village - BIRUR, Post - BHAMURJI, TEHSIL - KARUR, DIST. - CHITRAKUT	स्थायी निवास स्थान Post - BHAMURJI, TEHSIL - KARUR, DIST. - CHITRAKUT
4. Father's Name & Residence SHANJEEV पिता का नाम तथा निवास स्थान C-167, SECTOR 4 MAHANAGAR, LUCKNOW	SHANJEEV पिता का नाम तथा निवास स्थान C-167, SECTOR 4 MAHANAGAR, LUCKNOW
5. Date of Birth by the christian era as nearly as can be ascertained. जन्म दिनांक अंको में 22-07-1981 शब्दों में बी.ई.एस.जी. 3-नीस.सी. 22/07/81	22-07-1981 शब्दों में बी.ई.एस.जी. 3-नीस.सी. 22/07/81
6. Exact height by measurement ठीक ठीक लम्बाई 170 cms.	170 cms.
7. Personal marks for identification वैयक्तिक अभिज्ञान चिन्ह	
8. Signature of Government Servant with date सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	
9. Signature and designation of Head of the office or other attesting officer with date. कार्यालयप्रमुख या दूसरे अभिप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम दिनांक सहित	

A note on right cheek

02/08/2010

02/08/2010

self attested
Virat Shromani
02/08/2010

प्रेषक,

विराट शिरोमणि,
अपर जनपद न्यायाधीश,
जनपद बहराइच।
जे0ओ0कोड-1869

सेवा में,

श्रीमान प्रमुख सचिव,
परिवहन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद बहराइच।

विषय :- शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024
दिनांक 28 जून, 2024, शासनादेश संख्या-20/2024/सा-3-276/दस-2024
/301(1)/2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 एवं महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद को पत्रांक सं0 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July
29, 2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना का
विकल्प चुने जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी वर्तमान में अपर जनपद न्यायाधीश के पद जनपद बहराइच में कार्यरत हैं। प्रार्थी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 06.04.2010 को अपर सिविल जज (जू0डि0) के पद पर जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण किया था। इस सेवा के पूर्व प्रार्थी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में अन्तिम चयन उपरान्त उत्तर प्रदेश शासनादेश परिवहन अनुभाग-3, संख्या-2124/तीस-3-08-28जीई/2008, लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त 2008 के अनुपालन में दिनांक 01.09.2008 को कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय का पद भार ग्रहण किया गया था। ससम्मान यह भी अवगत कराना है कि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 की **विज्ञापन तिथि 15 मई 2004** थी।

उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा 2006 सीधी भर्ती की परीक्षा में अन्तिम चयन के उपरान्त निर्गत शासकीय विज्ञापित नियुक्ति संख्या-4541/दो-4-09-32(1)/2008 लखनऊ दिनांक 09.02.2010 द्वारा प्रार्थी की नियुक्ति सिविल जज (जू0डि0) के पद पर हुयी। उक्त के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.02.2010 को प्रमुख सचिव परिवहन, उ0प्र0 शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित कर स्वयं को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ के पद से कार्यमुक्त (रिलीव) किये जाने हेतु याचना की गयी। तत्पश्चात् उ0प्र0 शासन परिवहन अनुभाग-3 संख्या-717/30-3-2010-56जीई/2008, लखनऊ: दिनांक: 01 अप्रैल 2010 द्वारा कार्यभार छोड़ने की तिथि से कार्यमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.04.2010 को प्रार्थी द्वारा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, लखनऊ के पद का कार्यभार छोड़ा गया। माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन संख्या: 144/ए.आर(एस)/2010 दिनांक 11.03.2010 द्वारा प्रार्थी को अपर सिविल जज (अ0ख0) लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया और कार्यभार ग्रहण करने हेतु रेषित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.04.2010 को सिविल जज (जू0डि0) लखनऊ के पद का कार्यभार ग्रहण किया गया।

कमश:.....2 पर

Self attested
Virat Shiromani
01/08/24

४

उपरोक्त विषयांकित शासनादेशों एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र दिनांकित 29.07.2024 के अनुक्रम में राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना चुनने का विकल्प दिया गया है। आवेदक का चयन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर हुआ था। उक्त परीक्षा की विज्ञापन तिथि 15 मई 2004 थी, जिसके अनुसार आवेदक राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेन्शन योजना को चुनने की अर्हता को पूर्ण करता है। आवेदक द्वारा अपनी पुरानी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्र भेजा गया है। पूर्व सेवा के अनुक्रम में आवेदक पुरानी पेन्शन योजना से आच्छादित हो रहा है तथा पूर्व व वर्तमान सेवा जुड़ने के पश्चात् आवेदक सेवानिवृत्तिक पुरानी पेन्शन योजना के लाभों हेतु नवीन सेवा से भी आच्छादित हो जायेगा। शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 में विकल्प पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31.10.2024 है।

अतः आवेदक उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में निर्गत विकल्प पत्र पुरानी पेन्शन योजना चुनने के संदर्भ को पूर्ण कर प्रेषित कर रहा है। आपसे सादर अनुरोध है कि विकल्प पत्र में वर्णित विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर व संस्तुति प्रदान करने की कृपा करें तथा कृत कार्यवाही से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं अधोहस्ताक्षरी अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक:

संलग्नक: विकल्प पत्र (मूल) व समस्त प्रपत्रों की छायाप्रति

भवदीय,

Virat Shrivastava
31/07/24

(विराट शिरोमणि),

अपर जनपद न्यायाधीश,

जनपद बहराइच।

जे0ओ0कोड-1869

DA-31-07-24

1316-I-5-23

प्रतिलिपि: पत्र की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-श्रीमान महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पत्रांक सं0 10219/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated: July 29, 2024 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ।

Virat Shrivastava
31/07/24

(विराट शिरोमणि),

अपर जनपद न्यायाधीश,

जनपद बहराइच।

जे0ओ0कोड-1869

कार्यालय, जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

पत्रांक-1315-I-5-23

दिनांक: 31-07-2024

अग्रसारित

Chhabra
31/7/24

जनपद न्यायाधीश, बहराइच।

Self attested
Virat Shrivastava
01/08/24

1-नाम	-	विराट शिरोमणि
2-वर्तमान पदनाम	-	अपर जनपद न्यायाधीश
3-वेतनमान	-	144840-194660 लेवल जे-5
4-वर्तमान विभाग का नाम	-	जनपद न्यायालय, बहराइच / न्याय विभाग (उ0प्र0)
5-राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम	-	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6-विज्ञप्ति की तिथि	-	सम्मिलित राज्य / प्रवर अधीनस्थ सेवा (विशेष चयन) परीक्षा 2004 की विज्ञापन तिथि 15 मई 2004
7-विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि	-	29-08-2008
8-योगदान की तिथि	-	01-09-2008
9-जन्मतिथि	-	22-07-1981
10-सेवानिवृत्ति की तिथि	-	31-07-2041

मैं विराट शिरोमणि पुत्र श्री संजीव शिरोमणि शासनादेश संख्या 14 / 2024 सा-3-243 / दस-2024 / 301(1) / 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेन्शन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

हस्ताक्षर Virat Shiromani

नाम - विराट शिरोमणि

पदनाम - अपर जनपद न्यायाधीश

घोषणा-पत्र

मैं विराट शिरोमणि पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर Virat Shiromani

नाम - विराट शिरोमणि

पदनाम - अपर जनपद न्यायाधीश

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

मैं विराट शिरोमणि पदनाम अपर जनपद न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेन्शन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति / सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति